राज्य/जिला/प्रखण्ड किसान सलाहकार समिति के गठन एवं दायित्व संबंधी अनुदेश

1. **परिचय** – नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन अंतर्गत सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2018 में कार्यान्वयन अनुदेश निर्गत किया गया है जिसके कंडिका के अनुसूची I (f) में राज्य/जिला/प्रखंड स्तर पर किसान सलाहकार समितियों एवं इसके अनुसूची 1(e) में प्रखंड तकनीकी दल के गठन के लिए अनुदेश निर्गत किया गया है। पूर्व में प्रखंड स्तर पर किसान सूचना एवं सलाहकार केन्द्र (FIAC) गठित थी जिसका नाम बदलकर प्रखंड किसान सलाहकार समिति कर दिया गया है। इसी प्रकार से जिला स्तर पर जिला किसान सलाहकार समिति तथा राज्य स्तर पर राज्य किसान सलाहकार समिति का गठन किया जाना है।
2. **समितियों के गठन का उद्देश्य** – इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य किसानों की भागीदारी से दूसरी सेवाओं एवं विकास की गतिविधियों को छोड़कर अन्य प्रमुख प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंधन एवं संगठनात्मक सलाहकार के रूप में कार्य करना है। कृषि एवं कृषि के सम्बद्ध विभागों के लिए किसानों के परामर्श से विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना तथा उनसे फीडबैक प्राप्त कर आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य है। साथ हीं साथ यह कृषि की आधुनिक तकनीकी को किसानों के बीच प्रसारित करना।
3. **प्रखंड किसान सलाहकार समिति का गठन** –

3.1. समिति की संरचना

क्र0 सं0	समिति के सदस्यों का विवरण	सदस्य का पेशा	सदस्यों की सं0	सदस्य का प्रकार
1.	चयन समिति द्वारा गैर सरकारी सदस्यों से चयनित किसान	किसान	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख/पंचायत समिति के प्रमुख/ अध्यक्ष तालुक पंचायत मंडल परिषद	–	01	सदस्य
3.	जिला परिषद के सभी सदस्य	–	01	सदस्य
4.	प्रगतिशील किसान (सामान्य श्रेणी)	कृषि/उद्यान/ पशुपालन/ मत्स्यपालन	01	सदस्य
5.	प्रगतिशील किसान (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	तथैव	01	सदस्य
6.	प्रगतिशील महिला किसान (सामान्य श्रेणी महिला)	तथैव	01	सदस्य
7.	प्रगतिशील किसान (अनुसूचित जाति)	तथैव	01	सदस्य
8.	प्रगतिशील किसान (सामान्य श्रेणी)	तथैव	01	सदस्य
9.	प्रगतिशील किसान (पिछड़ा वर्ग)	तथैव	01	सदस्य
10.	प्रगतिशील किसान (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	तथैव	01	सदस्य
11.	प्रगतिशील महिला किसान (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	तथैव	01	सदस्य
12.	प्रगतिशील महिला किसान (सामान्य श्रेणी)	तथैव	01	सदस्य

13.	प्रगतिशील महिला किसान (अनुसूचित जाति)	तथैव	01	सदस्य
14.	प्रगतिशील किसान (सामान्य श्रेणी)	तथैव	01	सदस्य
15.	प्रगतिशील महिला किसान (पिछड़ा वर्ग)	तथैव	01	सदस्य
16.	प्रगतिशील किसान (सामान्य श्रेणी)	तथैव	01	सदस्य
17.	प्रगतिशील किसान (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	तथैव	01	सदस्य
18.	प्रगतिशील महिला किसान (सामान्य श्रेणी)	तथैव	01	सदस्य
19.	प्रगतिशील किसान (अनुसूचित जाति)	तथैव	01	सदस्य
20.	प्रगतिशील किसान (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	तथैव	01	सदस्य
21.	प्रगतिशील महिला किसान (पिछड़ा वर्ग)	तथैव	01	सदस्य
22.	प्रगतिशील किसान (अनुसूचित जनजाति)	तथैव	01	सदस्य
23.	प्रगतिशील किसान (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	तथैव	01	सदस्य
24.	प्रगतिशील महिला किसान (सामान्य श्रेणी)	तथैव	01	सदस्य
25.	प्रगतिशील किसान (पिछड़ा वर्ग)	तथैव	01	सदस्य
26.	प्रगतिशील किसान (सामान्य श्रेणी)	तथैव	01	सदस्य
27.	प्रगतिशील महिला किसान (अनुसूचित जाति)	तथैव	01	सदस्य
28.	प्रगतिशील किसान (सामान्य श्रेणी दृष्टि दिव्यांगता)	तथैव	01	सदस्य
29.	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक	सरकारी सेवा	01	सदस्य सचिव
		कुल	28	

3.2. समिति के अध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों का चयन/मनोनयन

I. चयन/मनोनयन हेतु चयन समिति का गठन –

क्र0सं0	सदस्य का विवरण	सदस्य का प्रकार
1.	जिला कृषि पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरीय वैज्ञानिक–सह–प्रधान/कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
3.	जिला पशुपालन पदाधिकारी	सदस्य
4.	जिला मत्स्य पदाधिकारी	सदस्य
5.	जिला गव्य विकास पदाधिकारी	सदस्य
6.	सहायक निदेशक, उद्यान	सदस्य
7.	परियोजना निदेशक, आत्मा	सदस्य सचिव

II. चयन समिति द्वारा गैर सरकारी सदस्यों का चयन तथा गैर सरकारी सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा।

III. समिति के अध्यक्ष के अनुमोदनोपरांत परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा प्रखंड किसान सलाहकार समिति के गठन से संबंधित सूचना निर्गत की जाएगी तथा सभी संबंधितों को सूचित किया जाएगा।

3.3. अपिलीय प्राधिकार – उपर्युक्त समितियों के गठन तथा गैर सरकारी सदस्यों के चयन से संबंधित आपत्ति/अपील जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद के समक्ष की जाएगी जिनका निर्णय अंतिम होगा।

3.4. प्रखंड किसान सलाहकार समितियों के गठन हेतु सदस्यों/अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया–

3.4.1. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) अंतर्गत किसान सलाहकार समितियों के गैर सरकारी सदस्यों/अध्यक्षों के चयन हेतु निम्न प्रक्रिया का प्रस्ताव अनुदेश में दिया गया है–

3.4.1.1. इच्छुक किसान निर्धारित प्रपत्र (अनुसूची–1) में अपना आवेदन पत्र अपने प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक के यहाँ जमा करेंगे तथा सभी सूचनाओं को अंकित करते हुए वांछित प्रमाणपत्रों की प्रति संलग्न करेंगे।

3.4.1.2. आवेदक किस प्रक्षेत्र/कोटि के लिए सदस्य बनना चाहते हैं उसका आवेदन में उल्लेख करेंगें।

3.4.1.3. संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक द्वारा सभी आवेदनपत्रों को अनुलग्नक सहित जाँचोपरांत परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जाएगा।

3.4.1.4. प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

3.4.1.5. जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्य/अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित शर्त्तों एवं मापदण्डों के आलोक में किया जाएगा –

3.5. प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्य के चयन हेतु शर्त्तें –

3.5.1. आवेदित किसान अपने संबंधित प्रक्षेत्र/कोटि के लिए निम्नलिखित में से कम से कम कोई एक शर्त्त का पालन करना अनिवार्य होगा –

- आवेदित किसान आत्मा योजना अंतर्गत कृषक हित समूह/खाद्य सुरक्षा समूह/कृषक उत्पादक संगठन द्वारा निबंधित किसान/कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत किसान हों।
- आवेदित किसान अपने प्रक्षेत्र (कृषि/ उद्यान/ पशुपालन/ मत्स्पालन) में सरकारी प्रतिष्ठान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
- आवेदित किसान को अपने आवेदित प्रक्षेत्र में प्रखंड/जिला/ राज्य/ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अथवा प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो।
- आवेदित किसान अपने प्रक्षेत्र में तकनीकी जानकारी हेतु आत्मा अथवा सरकारी प्रतिष्ठान से राज्य के बाहर/अंदर परिभ्रमण किया हो।
- आवेदित किसान अपने खेतों के मिट्टी की स्वास्थ्य जाँच (सरकारी/ भारत सरकार के अधीन उपक्रम) कराया हो।
- आवेदित किसान कृषि/ उद्यान/ पशुपालन/ मत्स्यपालन में कार्य करते हैं।

3.5.2. आवेदक के आवेदित प्रक्षेत्र/कोटि में 2 या 2 से अधिक आवेदन होने पर अधिकतम शर्त्तों को पूरा करने वाले किसान को प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चयन किया जाएगा।